

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 736] No. 736] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 24, 2016/कार्तिक 2, 1938

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2016/KARTIKA 2, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2016

सा. का. नि. 997 (अ).— वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5, उक्त अधिनियम के खंड 14 के उपबंधों के साथ पठित, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्दवारा वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का नाम वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2016 है।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. वायुयान नियम, 1937 में नियम 62 में, उप-नियम (1) में मद (ड.) के अधीन दी गई सारणी में, क्रम संख्या (i) के सामने दी गई प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थातः-

"(क) सामान्य परीक्षा के लिए

रुपये 500 प्रति पेपर:

(ख) ऑनलाइन परीक्षा के लिए

रुपये 2500 प्रति पेपर.".

[फा.सं.एवी11012/7/2016-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, के असाधारण, भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) में तारीख 8 अक्टूबर, 2016 को सा. का. नि. 977 (अ) तारीख 5 अक्टूबर, 2016 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2016

G.S.R. 997(E).—In exercise of the power conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), read with proviso to section 14 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:---

- 1. (1) These rules may be called as the Aircraft (Fifth Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 62, in sub-rule(1), in the TABLE, under item (E), for the entry against serial number (i), the following entries shall be substituted, namely:-

"(a) for normal examination

Rs.500 per paper;

(b) for online examination

Rs.2500 per paper.".

[F.No. AV.11012/7/2016-A] ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette vide notification number V-26, dated 23rd March, 1937 and were last amended vide number G.S.R. 977 (E), dated the 5th October, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 8th October, 2016.